राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक– 292 / 241 / NULM / तीन / 2001(SM&ID)-II दिनांक– 19-5-17

सेवा में,

1 **जिलाधिकारी / अध्यक्ष,**
जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।

2. **सिटी प्रोजेक्ट आफिसर / परियोजना निदेशक**
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई,
लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, आजमगढ़, बदायूं, बडौत–बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बागपत, बरेली, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौसी, एटा, फैजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गोण्डा, हमीरपुर, हाथरस, झांसी, कानपुर, ललितपुर, लोनी–गाजियाबाद, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, सोनभद्र, रामपुर, सम्भल, शामली, सिद्धार्थनगर एवं सुलतानपुर उ0प्र0।

विषय : (DAY)-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत गठित एवं पंजीकृत रिपोर्टेड (Area level fedration-ALF) को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि (DAY)-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है तथा प्रत्येक स्वयं सहायता समूहों से 2–2 प्रतिनिधियों के माध्यम से क्षेत्र विशेष स्तर पर ALF (क्षेत्र स्तरीय समिति) का गठन कर पंजीकरण कराया जा रहा है। सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा प्रेषित माह मार्च 2017 की आख्या के अनुसार निम्नांकित शहरों में ALF का गठन कर पंजीकृत होने की आख्या प्रेषित की गई है :–

क्र.सं.	शहर का नाम	रिपोर्टेड पंजीकृत ALF की संख्या
1	आगरा	12
2	अलीगढ़	2
3	अमेठी	1
4	अमरोहा	2
5	आजमगढ़	1
6	बदायूं	2
7	बागपत	1
8	बहराइच	2
9	बलरामपुर	2
10	बडौत–बागपत	1
11	बरेली	6
12	बिजनौर	1
13	बुलन्दशहर	1
14	चन्दौसी	1
15	एटा	3
16	फैजाबाद	2
17	गौतमबुद्धनगर	1
18	गाजियाबाद	5
19	गोण्डा	3
20	हमीरपुर	1

क्र.सं.	शहर का नाम	रिपोर्टेड पंजीकृत ALF की संख्या
21	हाथरस	2
22	झांसी	3
23	कानपुर	29
24	ललितपुर	2
25	लोनी–गाजियाबाद	3
26	लखनऊ	10
27	महाराजगंज	1
28	महोबा	2
29	मैनपुरी	2
30	मथुरा	4
31	मेरठ	12
32	मुरादाबाद	4
33	पीलीभीत	2
34	प्रतापगढ़	1
35	सोनभद्र	1
36	रामपुर	4
37	सम्भल	1
38	शामली	1
39	सिद्धार्थनगर	1
40	सुलतानपुर	2

उल्लेखनीय है कि गठित एवं पंजीकृत ALF को गाइडलाइन के अनुसार रू0 50,000/– रिवाल्विंग फण्ड दिये जाने का प्रावधान है, परन्तु प्राप्त आख्या के अनुसार शहर में गठित एवं पंजीकृत ALF में से (मथुरा में 2 ALF को छोड़कर) किसी भी ALF को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त नहीं किया गया है। यहां पर यह भी अवगत कराना है कि विगत दिनांक 13.04.2017 को (DAY)-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई समीक्षा में ALF को रिवाल्विंग फण्ड न दिये जाने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई है। साथ ही इस घटक में 2015–16 एवं 2016–17 में रिपोर्टेड भौतिक प्रगति के सापेक्ष वित्तीय प्रगति अत्यन्त धीमी होने पर भी अप्रसन्नता व्यक्त की गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत पंजीकृत ALF को तत्काल RF अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही के साथ ही इस घटक में भौतिक प्रगति के सापेक्ष वित्तीय प्रगति सुनिश्चित कराने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सम्बन्धित परियोजना अधिकारी/शहर मिशन प्रबन्धक, सामाजिक विकास एवं अवस्थापना को अनुपालनार्थ।
3. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा उ0प्र0 की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक